sion of representatives of SC, ST and Minorities in Selection Committees/ Boards have been implemented by his Ministry;

(b) if so, what are the details of such bodies and organisations under his Ministry where the instructions have been implemented;

(c) what are the names of the bodies which have not implemented the instructions so far and the reasons therefor; and

(d) what steps are being taken by Government/institutions in this regard?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) Yes. Sir.

(b) A statement is enclosed. (See below).

(c) There is no such Organisation.

(d) Does not arise.

Statement

Sl. No.	Name of Organisation
1	Ganga Flood Control Commission, Patna.
2	Central Water and Power Research Station, Pune.
3	National Institute of Hydrology, Roorkee.
4	National Water Development Agency, New Delhi.
5	Narmada Control Authority, Indore.
6	Office of the Controller of Accounts, Ministry of Water Resources, New Delhi.
7	National Project Construction Corporation, New Delni.
8	Central Water Commission, New Delhi .
9	Central Soil and Materials Research Station, New Delhi.
10	Water and Power Consultancy Services (India) Limited, New Delhi.
11	Central Ground Water Board, New Delhi.
12	Brahmaputra Board, Guwahati.
13	Farakka Barrage Project, Murshidabad, West Bengal.
14	Ministry of Water Resources (Proper).

1605. *[Transferred to the 12th December,* 1991].

रिहन्द तथा बाणसागर करार, 1973

1606. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकारों के बीच रिहन्द तथा बाणसागर बांध के लिए किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने देश की सभी अंतरराज्यीय नदियों पर निर्मित पन-बिजली परियोजनाओं में सभी सम्बद्ध राज्यों के बीच जल तथा पन-बिजली का बंटवारा किया है;

(ग) यदि हां, तो रिहन्द बांध से उत्पादित 300 मैगावाट बिजली केवल

उत्तर प्रदेश राज्य को दे दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि उक्त बांध से उत्पादित बिजली में से बिहार को बिल्कुल भी हिस्सा नहीं दिया गया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि उक्त करार में बिहार के हिस्से के 92 हजार क्यूसेक फुट पानी के 3/4 को उत्तर प्रदेश सरकार हड़प लेती है; और

(च) क्या सरकार बिहार सरकार को जल तथा बिजली में बराबर का हिस्सा दिलाने के लिए कदम उठाएगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां। 1973 के बाणसागर समझौते में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच 2:1:1 के अनुपात में बाणसागर परियोजना के भण्डारण के उपयोग और निर्माण की लागत के बंटवारे का प्रावधान है, जिसमें पुनर्वास भी सम्मिलित है। इसमें बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को सोन नदी के क्रमशः 7.75, 5.25 और 1.25 मिलियन एकड़ फुट जल के आबंटन का भी प्रावधान है।

इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के वार्षिक प्रवाह में अधिक उतार चढ़ाव को देखते हुए रिहन्द बांध के लिए 1973 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें विस्तृत सिफारिशों की रूपरेखा तैयार करने हेतु बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों से इंजीनियरों के एक दल द्वारा किए जाने वाले विस्तृत अध्ययनों का प्रावधान है। इसमें, अक्तूबर में सोन बराज के अंतर्गत सिंचाई हेतु 0.3 मिलियन एकड़ फुट भण्डारण के आरक्षण के बिहार के अनुरोध को पूरा करने के लिए वित्तीय पहलू भी सम्मिलित है।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार, केवल केन्द्रीय परियोजनाओं के संबंध में ही संबंधित राज्यों के बीच बिजली के हिस्से को आबंटित करती है । अंतर्राज्यीय नदियों पर निर्मित जल विद्युत परियोजना से जल/बिजली का बंटवारा सामान्य तौर पर संबंधित राज्यों के बीच आपसी सहमति से किया जाता है । रिहन्द बिजली के बंटवारे के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के मध्य समझौता है ।

(ङ) और (घ) बाणसागर समझौते के खण्ड 9 के अंतर्गत दिए गए प्रावधान के अनुसार सोन नदी का अध्ययन करने और राज्यों द्वारा आवश्यक समझे गए सोन जल के प्रयोग में पुनः समायोजन को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के लिए व्यापक योजना तैयार करने हेतु सोन नदी आयोग का गठन किया गया था। इसने उपलब्ध जल का संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया था । इसी बीच विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रयोग उभर कर आए जिनपर पहले विचार नहीं किया गया था । इसको मद्दे नजर रखते हुए, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन 9–5–1989 को किया गया । इस बैठक के दौरान जल प्रयोगों का सीमान्त पुनः समायोजन, जलाशयों का समग्र प्रचालन और सोन नदी प्राधिकरण की स्थापना हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे । विचार विमर्श के पश्चात् अंतिम निर्णय लेने हेतु पुनः बैठक करने का निर्णय किया गया था । अगली बठक अभी आयोजित नहीं की गयी है ।

मध्य प्रदेश में इंदौर को नर्मदा जल की अपर्याप्त आपूर्ति

1607. **श्री अजीत जोगी :**
श्री बी. के. हरिप्रसाद :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में इन्दौर को नर्मदा जल की